प्रारुप–3

भाग–2 (संबधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

[illegible] की अवस्थिति	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड जौनपुर में रायपुर–कुमाल्डा–कद्दूखाल मोटर मार्ग के किमी0 35 से घेना तक मोटर मार्ग (कुल लम्बाई–3.3250 किमी0) के निर्माण हेतु 2.0825 हे0 वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव।			
[illegible]	उत्तराखण्ड			
[illegible]	टिहरी गढवाल			
[illegible]	नरेन्द्रनगर वन प्रभाग			
[illegible] के लिए उपयोग की जाने वाली [illegible]	आरक्षित वन भूमि (हे0)	सिविल सोयम (हे0)	वन पंचायत भूमि (हे0)	कुल भूमि (हे0)
	1.6275	**0.0870**	**0.3680**	**2.0825**
[illegible] वन भूमि का विवरण	नरेन्द्रनगर वन प्रभाग		मसूरी वन प्रभाग	
	आरक्षित वन भूमि–1.330 हे0 वन पंचायत भूमि–0.3680 हे0	कुल हस्तान्तरित भूमि– 1.698	आरक्षित वन भूमि–0.2975 हे0सिविल भूमि–0.0870 हे0	कुल हस्तान्तरित भूमि– 0.3845
[illegible] के लिए पहचानी गई वन भूमि की [illegible]	**कोई नही**			
[illegible] के लिए प्रस्तावित वन भूमि में [illegible]	संलग्न है			
[illegible]	मिश्रित वन			
[illegible] पूर्ण धनत्व	0.40 – भूत्सी कक्ष संख्या–01 (नरेन्द्रनगर वन प्रभाग)			
[illegible] या वैज्ञानिक नाम और [illegible] वृक्षों की परिगणना	प्रस्तावित मार्ग का समरेखण दो वन प्रभागों (नरेन्द्रनगर वन प्रभाग व मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत अवस्थित है। प्रस्तावित स्थल पर विभिन्न प्रजाति/व्यास वर्ग के (नरेन्द्रनगर वन प्रभाग)के कार्यक्षेत्रान्तर्गत आरक्षित वन भूमि पर –78 वृक्ष एवं वन पंचायत भूमि पर–37 कुल 137 वृक्ष अवस्थित है जबकि (मसूरी वन प्रभाग) के क्षेत्रान्तर्गत आरक्षित वन भूमि पर–68 वृक्ष एवं सिविल सोयम भूमि पर–01 कुल 69 वृक्ष प्रभावित हो रहे है। जिनमें से नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के अन्तर्गत 106 तथा मसूरी वन प्रभाग के अन्तर्गत 39 वृक्ष कुल 145 प्रतिबन्धित बॉज प्रजाति के सम्मिलित है।			
[illegible] के लिए उपयोग की जाने वाली वन [illegible] योजना का नुस्खा	–			
[illegible] हेतु उपयोग की जाने [illegible] स्थलाकृति और क्षीणता पर [illegible]	भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार			

प्रारुप–3

भाग–2 (संबधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

<table>
<tr><td>परियोजना या स्कीम की अवस्थिति</td><td colspan="4">प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड जौनपुर में रायपुर–कुमाल्डा–कददूखाल मोटर मार्ग के किमी0 35 से घेना तक मोटर मार्ग (कुल लम्बाई–3.3250 किमी0) के निर्माण हेतु 2.0825 हे0 वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव।</td></tr>
<tr><td>राज्य/संघराज्यक्षेत्र</td><td colspan="4">उत्तराखण्ड</td></tr>
<tr><td>जिला</td><td colspan="4">टिहरी गढवाल</td></tr>
<tr><td>जिला वन प्रभाग</td><td colspan="4">नरेन्द्रनगर वन प्रभाग</td></tr>
<tr><td rowspan="2">पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र</td><td>आरक्षित वन भूमि (हे0)</td><td>सिविल सोयम (हे0)</td><td>वन पंचायत भूमि (हे0)</td><td>कुल भूमि (हे0)</td></tr>
<tr><td>1.6275</td><td>0.0870</td><td>0.3680</td><td>2.0825</td></tr>
<tr><td rowspan="2">पूर्वतः हस्तान्तरित वन भूमि का विवरण</td><td colspan="2">नरेन्द्रनगर वन प्रभाग</td><td colspan="2">मसूरी वन प्रभाग</td></tr>
<tr><td>आरक्षित वन भूमि–1.330 हे0
वन पंचायत भूमि–0.3680 हे0</td><td>कुल हस्तान्तरित भूमि– 1.698</td><td>आरक्षित वन भूमि–0.2975 हे0सिविल भूमि–0.0870 हे0</td><td>कुल हस्तान्तरित भूमि– 0.3845</td></tr>
<tr><td>पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति:</td><td colspan="4">कोई नही</td></tr>
<tr><td>अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा:</td><td colspan="4">संलग्न है</td></tr>
<tr><td>वन का प्रकार</td><td colspan="4">मिश्रित वन</td></tr>
<tr><td>वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व</td><td colspan="4">0.40 – भूत्सी कक्ष संख्या–01 (नरेन्द्रनगर वन प्रभाग)</td></tr>
<tr><td>प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और काटे जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना</td><td colspan="4">प्रस्तावित मार्ग का समरेखण दो वन प्रभागों (नरेन्द्रनगर वन प्रभाग व मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत अवस्थित है। प्रस्तावित स्थल पर विभिन्न प्रजाति/व्यास वर्ग के (नरेन्द्रनगर वन प्रभाग)के कार्यक्षेत्रान्तर्गत आरक्षित वन भूमि पर –78 वृक्ष एवं वन पंचायत भूमि पर–37 कुल 137 वृक्ष अवस्थित है जबकि (मसूरी वन प्रभाग) के क्षेत्रान्तर्गत आरक्षित वन भूमि पर–68 वृक्ष एवं सिविल सोयम भूमि पर–01 कुल 69 वृक्ष प्रभावित हो रहे है। जिनमें से नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के अन्तर्गत 106 तथा मसूरी वन प्रभाग के अन्तर्गत 39 वृक्ष कुल 145 प्रतिबन्धित बॉज प्रजाति के सम्मिलित है।</td></tr>
<tr><td>पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा</td><td colspan="4">–</td></tr>
<tr><td>भू-क्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी</td><td colspan="4">भू–वैज्ञानिक रिर्पोट के अनुसार</td></tr>
</table>

वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सामान्य दूरी :	प्रस्तावित/चयनित स्थल आरक्षित वन भूमि भुत्सी कक्ष संख्या–01 तथा ग्राम घेना वन पंचायत भूमि (नरेन्द्रनगर वन प्रभाग तथा आरक्षित वन भूमि श्रीपुर कक्ष सं0–6ए व 6बी तथा ग्राम घेना चक लग्गा दुबलियान सिविल सोयम भूमि (मसूरी वन प्रभाग) की सीमा अन्तर्गत है।
वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :	नही। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रपत्र–25 पर चस्पा है।
पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा :	कोई नही
क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर प्रवासीय अत्यावश्यक गलियारे आदि के भाग का निर्माण करती हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपलब्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)	नही
क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियां उपाबद्ध की जाए)	नही
क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव अत्यावश्यक आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस किमी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियां उपाबद्ध की जाएं)	नही
क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अभाव या खतरे में अलग किस्म के खतरे की संभावना है, यदि हैं तो उसके ब्यौरे	कोई नही
क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या ऐतिहासिक स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण स्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपलब्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें)	नही
पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :	कोई नही

(ii) क्या भाग– 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए न्यूनतम है।	न्यूनतम एवं अपरिहार्य है
(iii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।	—
8. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :	
(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं)	नही
(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही	नही
(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं)	नही
9. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :	
(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति।	संलग्न है
(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन क्षेत्र ब्यौरे दें।	संलग्न है
(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत मानचित्र का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न है।	संलग्न है
(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न है (हां/नहीं)।	हॉ
(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय :	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु मु0 9,59,208.00 तथा[illegible]वेत मार्ग के दोनो ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु मु0 11,48,162.00
(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण–पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)।	हॉ

ञ. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाघात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)।	हॉ
ट. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों	वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की संस्तुति की जाती है।

स्थान :- मुनिकीरेती।

दिनांक :- 04-10-2016

हस्ताक्षर
प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि-की-रेती
कार्यालयी मुहर